

दैनिक रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

नवी मुंबई में 5.5 लाख रुपये के ड्रग्स जब्त... एक व्यक्ति गिरफ्तार



ठाणे : नवी मुंबई पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक प्रकोष्ठ (एनसी) ने एक व्यक्ति के पास से 5.50 लाख रुपये मूल्य का 22 ग्राम एमडीएमए (3,4-मिथाइल एनीडियोक्सी मेथामफेटामाइन) नशीला पदार्थ जब्त करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए,

एनसी अधिकारियों ने सोमवार शाम को महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के कोपरखैरणे इलाके में एक होटल के गेट के पास जाल बिछाया। अधिकारी ने बताया कि ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके के कौसा निवासी 23 वर्षीय आरोपी के पास से एमडीएमए मादक पदार्थ जब्त कर, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह पता लगाने के लिए प्रयासरत है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ का स्रोत क्या था और इसे कैसे दिया जाना था।

बीएमसी कर रही है पक्षपात !

सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को जारी हुआ फंड

मुंबई : मुंबई में करीब 2 साल से बीएमसी का चुनाव लंबित है और ऐसे में नगरसेवक शहर में जो विकास कार्य अपने क्षेत्र में किया करते थे वह पूरी तरह से रुका हुआ है। इसलिए बीएमसी ने मुंबई के विधायकों को विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ का फंड जारी किया है। लेकिन ताजा रिपोर्ट में बीएमसी पर पक्षपात का आरोप लगा है।

बीएमसी पर आरोप है कि बीएमसी ने सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को ही फंड जारी किया। जबकि विपक्ष के विधायकों को आवेदन के बावजूद फंड



नहीं मिला है। अग्नेजी दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने मुंबई में विकास कार्यों के लिए विधायकों को 500 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। लेकिन बीएमसी ने यह फंड सिर्फ सत्ता से जुड़े विधायकों को ही दिया है। जबकि विपक्ष के विधायकों को आवेदन के बावजूद फंड नहीं मिला।

विपक्ष के विधायकों को फंड का इंतजार

मुंबई में कुल 36 विधायक हैं, बीजेपी के 16 विधायक, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के पांच विधायक, (खबर के मुताबिक सिर्फ इन्हीं 21 विधायकों को 500 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है) वहीं दूसरी

सत्ता से जुड़े विधायकों को मिला 500 करोड़ का फंड

बीजेपी के विधायकों की तरफ से 462 करोड़ रुपये मांगे गए थे उन्हें करीब 374 करोड़ रुपये फंड के जरिए आवंटित किए गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के विधायकों की तरफ से 191 करोड़ रुपये की मांग की गई थी और उन्हें 126 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कुल मिलाकर बीएमसी ने सत्ता से जुड़े 21 विधायकों को फंड जारी किया है और यह फंड करीब 500 करोड़ रुपये का है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिवसेना यूबीटी के विधायकों ने 84 करोड़ रुपये के फंड की मांग की थी। कांग्रेस के विधायकों ने 26 करोड़ रुपये के फंड की मांग की थी और सपा के विधायक ने 25 करोड़ रुपये के फंड की मांग मुंबई के विकास कार्यों के लिए की थी, लेकिन मुंबई महानगरपालिका की तरफ से इन विधायकों को फंड मुहैया नहीं कराया गया।

तरफ मुंबई में कांग्रेस के चार विधायक हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास नौ विधायक हैं। एनसीपी और सपा के पास क्रमशः एक एक विधायक हैं। खबर के मुताबिक इन 15 विधायकों को अब भी फंड का इंतजार है। मुंबई के विकास कार्यों की जिम्मेदारी मुंबई के नगर सेवकों के पास होती है और इन्हीं नगर सेवकों को बीएमसी के द्वारा फंड मिलता है।

नवी मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट...

ठाणे : महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में व्यक्तियों के एक समूह ने दो पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस ने चोर होने के संदेह में लोगों के एक समूह द्वारा पकड़े गए दो व्यक्तियों को हिरासत में लेने की कोशिश की। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना उरण इलाके के वेशवी गांव में मंगलवार देर रात करीब 12.30 बजे हुई।

इस घटना में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोगों के एक समूह ने दो लोगों को चोर होने के संदेह में पकड़ लिया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। उरण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका विरोध करते हुए, कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और दो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। एक पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज की



गई शिकायत के आधार पर, चार व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (किसी लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या अपराधिक बल), 332 (लोक सेवक को जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के लिए जान-बूझकर अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

चीनी जासूस कबूतर को 8 महीने की हिरासत के बाद मिली रिहाई



मुंबई : चीनियों द्वारा जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध कबूतर को आठ महीने पहले पकड़े जाने के बाद यहां एक पशु अस्पताल की हिरासत में रखा गया था, जिसे रिहा कर दिया गया है, एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा। आरसीएफ (राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक) पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, यहां परेल इलाके में बाईं सकरबाई दिनांश पेटिट हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स ने सोमवार को पुलिस से पक्षी को छोड़ने की अनुमति मांगी, जिसके बाद मंगलवार को उसे मुक्त कर दिया गया।

14 साल की लड़की के लिए दादा-दादी को अभिभावक किया गया नियुक्त...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने दादा-दादी को 14 साल की एक लड़की का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया है, जिसकी मां सात साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी और उसके जन्म के एक साल बाद सितंबर 2011 में पिता की कैंसर से मौत हो गई थी। बच्चे की मां ने दूसरी शादी कर ली और अब गुजरात में रहती है। लड़की का एक भाई है, जो अब 20 साल का है और उसने पिछले साल मई में अपनी मां के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था।

लड़की के कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग करने वाली दादा-दादी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कहा कि बच्चा उनसे "बेहद जुड़ा हुआ" है। दादा-



दादी ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को उनके वचन पत्र पर लड़की को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की थी, क्योंकि वे उसे पिछले साल उमरा तीर्थयात्रा के लिए सऊदी अरब नहीं ले जा सके थे। दादा-दादी की याचिका में तर्क दिया गया कि मां ने उनके खिलाफ गुजरात की एक अदालत में मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे बच्चों के साथ क्रूर थे और उनकी जान को खतरा था। हालांकि, बच्चों

(लड़की और उसके बड़े भाई) से बातचीत करने के बाद, गुजरात अदालत ने शिकायत खारिज कर दी क्योंकि उसे खतरे का कोई संकेत नहीं मिला और बच्चों ने अपने दादा-दादी के साथ रहने का विकल्प चुना। 18 जनवरी को जस्टिस रियाज चागला ने कहा कि नोटिस भेजने के बावजूद मां अदालत में पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा, "मुझे उक्त नाबालिग से बातचीत करने का अवसर मिला है और मैंने पाया है कि वह याचिकाकर्ताओं से बेहद जुड़ी हुई है। उसे अपनी मां के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में उसने कहा कि उसने कई वर्षों से उस तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया है।"

हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया इस्तीफे के बाद होगी ED द्वारा जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज की रात रांची स्थित ईडी के दफ्तर में गुजरेगी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी की टीम हिरासत में लेकर रात करीब दस बजे एयरपोर्ट रोड स्थित दफ्तर पहुंची। उन्हें गुरुवार को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। इस बीच सोरेन की ओर से बुधवार को ही झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दायर कर ईडी की पूरी कार्रवाई को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए गुरुवार दिन साढ़े दस बजे का समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा शंकर की बेंच इस मामले की



सुनवाई करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद शाम करीब पांच बजे ही सूचित कर दिया था कि वह उन्हें गिरफ्तार करने जा रही है। सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। इसके बाद सोरेन ने सीएम पद के इस्तीफा देने का निर्णय लिया। उन्होंने ईडी की कस्टडी में ही राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

निजी क्षेत्र के बैंकों पर
मार्जिन का दबाव

वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में निजी क्षेत्र के कई बैंकों के नतीजे ऐसे रुझान दर्शाते हैं जो शायद समूचे क्षेत्र पर लागू हों। विशुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में साफ तौर पर कमी देखी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई अनिवार्यता के मुताबिक ही बैंक वैकल्पिक निवेश फंड जोखिम के विरुद्ध उच्च प्रोविजन भी रखते हैं।

असुरक्षित ऋण के मामलों में जोखिम भार बढ़ाने की केंद्रीय बैंक की जरूरत ने भी वृद्धि दर पर असर डाला है। निजी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में फंसा हुआ कर्ज नियंत्रण में बना हुआ है। सरकारी बैंकों में से ज्यादातर के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। इंडसइंड बैंक कुछ हद तक अपवाद है क्योंकि उसका ज्यादातर कारोबार तमिलनाडु में है और वहां बेमौसम की बारिश और बाढ़ ने संग्रह पर असर डाला। हालांकि यह ढांचागत समस्या नहीं प्रतीत होती है और सुधार के जोर पकड़ने की उम्मीद है।

ऋण वृद्धि की बात करें तो अधिकांश बैंकों में यह बेहतर रही है। खुदरा और छोटे और मझोले उपक्रमों में ऋण विस्तार आमतौर पर कॉर्पोरेट ऋण से तेज रहा है। चूंकि समग्र ऋण वृद्धि जमा दर से तेज रही है इसलिए बैंक अब अधिक फंड जुटाने के लिए जमा पर बेहतर ब्याज दे रहे हैं। यह भी एनआईएम में कमी की एक वजह रही है, हालांकि अधिकांश निजी बैंकों के एनआईएम में कमी 50 आधार अंकों से कम रही है। असुरक्षित ऋण के लिए उच्च जोखिम भार ने भी उन ऋणों को प्रभावित किया है जो क्रेडिट कार्ड से लिए जाते हैं या पर्सनल लोन हैं। ये प्रायः उच्च वृद्धि और उच्च प्रतिफल वाला क्षेत्र है। यह आगे चलकर शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) की वृद्धि में कमी ला सकता है। एचडीएफसी बैंक भी एक अपवाद के रूप में सामने आया है। पूर्व एचडीएफसी के साथ विलय ने कम लागत वाले फंड तक पहुंच आसान की है। बहरहाल अन्य लाभों के सुसंगत होने में अभी समय लगेगा।

बहरहाल, बाजार तीसरी तिमाही में देश के सबसे बड़े निजी बैंक के नतीजों से निराश दिखा। जहां तक गैर ब्याज आय की बात है, राजकोषीय आय कम रही है। यह चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि नीतिगत दरें अपरिवर्तित रहीं और रुपये में भी अधिक उतार-चढ़ाव नहीं आया। इसलिए बॉन्ड प्रतिफल भी मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहे। परिचालन लागत में इजाफा हुआ क्योंकि बैंकों ने उच्च प्रतिस्पर्धा वाले माहौल के चलते शाखाएं खोली हैं। खुदरा मार्जिन भी एक दिलचस्प क्षेत्र है जहां बैंक विशिष्ट गैर बैंक वित्तीय कंपनियों के साथ कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के हालिया नीतिगत कदमों ने नए एआईएफ प्रावधानों के कारण मुनाफे पर बुरा असर डाला है। अधिकांश निजी बैंकों में प्रबंधन के निर्देश आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। ऋण की मांग में इजाफा जारी रहने की उम्मीद है। बैंक मानकर चल रहे हैं कि रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व के साथ तालमेल रखते हुए उसके साथ ही नीतिगत दरों में कटौती आरंभ कर देंगे।

परंतु जब तक मौद्रिक नीति मजबूत बनी रहेगी और ऋण जमा अनुपात सुधरेगा, एनआईएम में कमी जारी रहेगी। दिग्गजों की मानें तो चालू तिमाही में एनआईएम में और कमी आएगी भले ही इसका आकार बहुत बड़ा न हो। कॉर्पोरेट ऋण की मांग में सुधार की भी अपेक्षा है। यह खुदरा ऋण विस्तार में धीमेपन की भरपाई करेगा। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो क्षमता के उपयोग में सुधार की मदद से कॉर्पोरेट निवेश में सुधार किया जा सकता है।

+91 99877 75650
editor@rookthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

तमिलनाडु में डीएमके सरकार कभी नहीं देगी सीए लागू करने की अनुमति...

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि द्रमुक सरकार कभी भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीए) को राज्य में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि देश मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों जैसे लोगों के कुछ समूहों के साथ भेदभाव करता है।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी दौरे पर गए स्टालिन ने 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के दावे का हवाला दिया कि सीए पूरे देश में सात दिनों के भीतर लागू किया जाएगा और संसद में



संशोधन लाए जाने पर इसके पक्ष में मतदान करने के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया।

'यह कानून मुसलमानों के खिलाफ करता है भेदभाव' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की घोषणा...

कानून श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है।

BJP ने किया 7 दिनों के अंदर पूरे भारत में CAA लागू करने का दावा

बता दें कि सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि अगले सात दिनों के अंदर पूरे भारत में सीए लागू कर दिया जाएगा।

मुंबई कस्टम विभाग ने 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 4,000 एमडीएमए टैबलेट्स के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार



मुंबई : मुंबई कस्टम विभाग अपना काम बखूबी निभाते हैं। हर रोज लाखों-करोड़ों का अवैध सामन वे जप्त करते हैं। उसी में अब एक नए मामले सामने आया है जहां मुंबई कस्टम विभाग ने 3,996 एमडीएमए टैबलेट की तस्करी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका वजन 1,636 ग्राम है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। एमडीएमए का मतलब मेथिलीन डाइऑक्सी मेथमफेटामाइन है, जो भारत में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। कस्टम विभाग ने 23 जनवरी को विदेशी डाकघर, मुंबई में एक आयात पार्सल को रोका और उसमें से एमडीएमए टैबलेट जप्त कीं। पार्सल को नवी मुंबई में किसी आतिश पवार को डिलीवर किया जाना था।

पार्सल पर पता उल्टे, नवी मुंबई का था, इसलिए कस्टम विभाग ने आरोपी को पकड़ने के इरादे से एक जाल बिछाया। इसके लिए एक डमी पार्सल तैयार किया गया और पार्सल रिसेवर के बताए गए पते पर भेजा गया। कस्टम के अधिकारी ने बताया कि रविवार और सोमवार को सीमा शुल्क विभाग ने ऋषभ शर्मा और फैजल खान को पार्सल प्राप्त करते समय पकड़ लिया। और सारी सच्चाई सामने आयी। शर्मा ने सीमा कस्टम विभाग के अधिकारियों को बताया कि विसेंट नाम के एक नाइजीरियाई नागरिक ने उनसे पार्सल लेने के लिए कहा था। खान ने इस कृत्य में शर्मा की सहायता की इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर कस्टम विभाग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

राज्यसभा चुनाव के सीटों की घोषणा के बाद सियासी भूकंप?

अजित पवार ग्रुप अलर्ट मोड पर... विधायकों को दिये गये निर्देश

मुंबई : 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इस चुनाव में अजित पवार गुट की क्या भूमिका होगी, इस पर सबकी नजर है। इसमें विधायकों और मंत्रियों को उनके समूह की ओर से अहम निर्देश दिये गये हैं। देश के 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें महाराष्ट्र की 6 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक अजित पवार का गुट अलर्ट मोड पर है। उन्होंने नेताओं को किसी भी फॉर्म पर हस्ताक्षर न करने की हिदायत दी है। अजित पवार गुट के सभी विधायकों, मंत्रियों को निर्देश दिया गया है और यह बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, जबकि दो राज्यों के शेष छह सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। वहां के लिए



27 फरवरी को चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होंगे। महाराष्ट्र में 6 सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे, कांग्रेस सांसद कुमार केतकर, शिवसेना ठाकरे सांसद अनिल देसाई, बीजेपी सांसद मुरलीधरन, एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण शामिल हैं।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मुंबई में उद्भव ठाकरे से की मुलाकात...

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मंगलवार को अपने घर 'मातोश्री' में राजन की मेजबानी करके खुशी हुई। नरेन्द्र मोदी सरकार की



आर्थिक नीतियों के मुखर आलोचक राजन ने उद्भव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य और तेजस से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट में लिखा, 'हमारे घर, मातोश्री

में रघु राजन जी की मेजबानी करना वास्तव में खुशी की बात है। विभिन्न भूमिकाओं में हमारी अर्थव्यवस्था में उनके पहले से ही व्यापक योगदान के अलावा, जिसमें आरबीआई का गवर्नर होना भी शामिल है, हमारा हृदय विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।'

मनोज जारांगे पाटिल ने 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की

पुणे : मराठा आरक्षण पर विवाद के बीच, कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने बुधवार को कहा कि वह 10 फरवरी से एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। "फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की बहुत जरूरत है। आरक्षण के लिए कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कानून मराठा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा।" पूरा आरक्षण मिलने के बाद ही मैं सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को धन्यवाद दूंगा," पाटिल ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वे विजय



रैली करेंगे और उस दिन को 'महा दिवाली' के रूप में मनाया जाएगा। "पिछले 70 वर्षों में यह पहली बार है कि मराठा समुदाय के पास आरक्षण के लिए एक मजबूत कानून है। हमने मुंबई तक मार्च करने की योजना बनाई थी। जब हमें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम एक विजय रैली आयोजित करेंगे और वह

दिन होगा।" महा दिवाली के रूप में मनाया जाता है, "पाटिल ने कहा। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का दावा करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की, नेताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के बाद जारांगे पाटिल और उनका समुदाय संदेह में हैं। जारांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय

ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है।

"मैं पिछले 35 वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूँ, आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुर्जर भी शामिल हो जाएंगे। मजबूत समुदाय इस तरह ओबीसी श्रेणी में प्रवेश करेंगे हम लड़ेंगे लोकतंत्र में हर तरह की उम्मीद की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा पिछड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें बैकडोर एंटी के जरिए ओबीसी में शामिल

किया जा रहा है, इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित हो रहा है..." भुजबल ने कहा था। इससे पहले, पाटिल ने नवी मुंबई के वाशी में एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसमें सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठों के लिए सीटों का आरक्षण सहित कई मांगों को रेखांकित किया गया। इसके बाद सरकार ने शनिवार को इन मांगों को स्वीकार करते हुए एक अध्यादेश जारी किया। इस बीच सीएम शिंदे ने दावा किया कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी।

प्रशासन ने प्रतिबंधित गुटखे तथा तंबाकू उत्पाद की खेप बरामद, 1 गिरफ्तार



ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित गुटखे तथा तंबाकू उत्पाद की खेप बरामद की है और इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की अनुमानित कीमत 12.45 लाख रुपये है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अनुसार शक्ति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एफडीए की एक टीम ने पुलिस के साथ भिवंडी इलाके में एक होटल के पास के एक परिसर पर छापा मारा। परिसर के पास खड़े एक टेम्पो चालक (34) को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (जहर के जरिये नुकसान पहुंचाना), 273 (हानिकारक भोजन या पेयपदार्थ की बिक्री), 272 (बिक्री वाले भोजन या पेयपदार्थ में मिलावट), 188 (लोकसेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) और 179 (प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत लोकसेवक को उत्तर देने से इनकार करना) तथा एफडीए नियमनों के तहत मामला दर्ज किया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किया खंडित फैसला जारी

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईटी एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति नीला गोखले ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। मामले को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के पास भेजा गया है, जो आगे विचार के लिए मामले को तीसरे न्यायाधीश को सौंपेंगे। इसके अलावा, फैक्ट चेक यूनिट को सूचित न करने का केंद्र का बयान अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा।

बिना अनुमति के महिला की तस्वीरें शेयर करना शरक्स को पड़ा भारी, मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई



मुंबई : मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय एक महिला को बदनाम करने की कथित कोशिश के लिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। व्यक्ति पर महिला की अनुमति के बिना उसकी तस्वीरों उसके माता-पिता और दोस्तों को साझा करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महिला इस संबंध में शिकायत लेकर मंगलवार शाम 5 एम जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंची। लोअर परेल इलाके में रहने वाली महिला के अनुसार, 17 जनवरी को जब वह काम के लिए अपने कार्यालय जा रही थी, उस दौरान उसके दो मोबाइल फोन खो गए।

उसके साथ करना चाहता है। साथ ही उस व्यक्ति ने महिला को बदनाम करने के लिए उसके पिता को दो पुरुष मित्रों के साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी भेजीं।

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद महिला की मां और दो पुरुष मित्रों को भी तस्वीरों के साथ व्हाट्सएप पर ऐसे ही संदेश और तस्वीरें मिलीं। महिला के पिता व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एन एम जोशी पुलिस थाना पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि महिला ने मंगलवार को एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उसे बदनाम करने लिए, बिना अनुमति के यह कृत्य किया है। अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) और 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता के पिता को आया था मैसेज

सोमवार शाम को उसके पिता को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक संदेश मिला और संदेश भेजने वाले ने दावा किया कि वह महिला का प्रेमी है। अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि संदेश में यह भी दावा किया गया कि महिला ने उसके साथ गलत किया था और वह भी ऐसा ही

“धूमधाम से हुई शादी, सुहागरात में पता चली पति की सच्चाई... पत्नी ने ठोक दिया मुकदमा”

मुंबई : मुंबई से सटे कल्याण से धोखधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी ने कहा धूमधाम से हुई शादी में सुहागरात के दिन जो सच्चाई पता चली उसने उसका दांपत्य जीवन बर्बाद कर दिया। पति पर पत्नी ने नपुंसक होने का आरोप लगाया है और ये भी कहा कि ये शादी उसे धोखे में रखकर की गई। पत्नी ने अपनी शिकायत कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इस मामले में कल्याण पश्चिम के हाईप्रोफाइल इलाके की एक पीड़ित महिला ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाते हुए खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति नपुंसक है, उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। मानपाड़ा पुलिस के अनुसार शहाड की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने अपने 40 वर्षीय पति के खिलाफ खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शादी से पहले उसके पति ने यह नहीं बताया कि वह नपुंसकता का शिकार है और शारीरिक सुख नहीं दे सकता है।

शिकायत में महिला ने क्या कहा

पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसे धोखे में रखकर शादी की गई है। शादी से पहले उसके पति ने यह बात छुपाई थी, पुलिस के अनुसार महिला ठाणे जिले के शहापुर तहसील के दूर दराज गांव की रहने वाली है। पिछले साल जून में उसकी शादी कल्याण पश्चिम शहाड के एक 40 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। शादी से पहले जब महिला के रिश्तेदारों ने लड़के से पूछा कि उसने शादी में इतनी देरी क्यों की, तो उसने कारण बताया कि वह सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। महिला को उसका पति इसलिए पसंद आया, क्योंकि वह पढ़ा-लिखा था, दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसका पति जब अजीब व्यवहार करने लगा तो महिला परेशान हो गई और उसने ससुराल छोड़ दिया लेकिन उसके बाद ससुराल वालों के मनाने पर वह



फिर ससुराल वापस लौट आई।

पति के दवाई से पता चली बात

ससुराल लौटने के बाद उसे अपने पति में जब दोष स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह डॉक्टर से कुछ दवाएं ले रहा था। जब महिला ने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उसके पति में सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसे लगने लगा कि उसका पति नपुंसकता का शिकार है और उसे कभी शारीरिक सुख नहीं मिल सकता है। यह सारी बातें जानने के बाद महिला को काफी झटका लगा और वह चिंतित रहने लगी। अंत में महिला ने कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जिसकी जांच पडताल मानपाड़ा थाने की एक महिला पुलिस अधिकारी कर रहीं हैं।

मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स की जमीन का एक हिस्सा 'थीम पार्क' के लिए सौंपने का प्रस्ताव पारित

मुंबई : मुंबई के मशहूर महालक्ष्मी रेसकोर्स के एक हिस्से को 'थीम पार्क' में बदला जाएगा। रेसकोर्स का प्रबंधन करने वाले क्लब ने नगर निकाय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें परियोजना के लिए भूमि के एक हिस्से की मांग की गई थी। एक शीर्ष पदाधिकारी ने बुधवार को कहा कि रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआईटीसी) ने मंगलवार को अपनी विशेष आम सभा आयोजित की जिसमें 1,718 सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया।

आरडब्ल्यूआईटीसी के अध्यक्ष सुरेंद्र सनस ने कहा, 'प्रस्ताव को लेकर कुल 708 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जिनमें से 540 ने (नगर निकाय के) प्रस्ताव (थीम पार्क के लिए) के पक्ष में मतदान किया जबकि शेष 168 ने इसके खिलाफ मतदान किया।' सनस ने कहा कि नगर निकाय अगले 30 वर्ष के लिए रेसकोर्स भूमि पट्टे को बढ़ाएगा। इसके साथ ही आरडब्ल्यूआईटीसी को एक नया क्लब हाउस बनाने के साथ ही परिसर में मरम्मत कार्य की भी अनुमति होगी।

सीबीआई ने 8 लाख रिश्वत मामले में 2 सरकारी अधिकारियों सहित 3 को गिरफ्तार किया



मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफओ) और ईपीएफओ, लखनऊ के एक प्रवर्तन अधिकारी और एक निजी व्यक्ति (बिचौलिए) को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एक शिकायत पर उक्त प्रवर्तन अधिकारी, ईपीएफओ, लखनऊ और बिचौलिए के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने अनुचित तरीके

से कर नहीं लगाने/लगाने के लिए एक सलाहकार/निजी व्यक्ति (बिचौलिए) के माध्यम से 12 लाख रुपये का अनुचित लाभ मांगा था। एक निजी कंपनी, जो जनशक्ति की आपूर्ति में लगी हुई है।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी प्रवर्तन अधिकारी और बिचौलिए को शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, जो कथित तौर पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ, लखनऊ के लिए थी। उक्त सहायक भविष्य निधि आयुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में चार स्थानों पर आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को लखनऊ स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

मुंबई : नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रान्सपोर्ट (एनएमएमटी) के एक बस चालक को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय 'आकस्मिक दृष्टिकोण' कहा जा सकता है, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसमें वह गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए देखा गया था। एनएमएमटी के रूट नंबर 17 पर ड्राइवर यात्रियों को ले जा रहा था और खुद के साथ-साथ यात्रियों की जान जोखिम में डालकर मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहा था।



मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यह सार्वजनिक परिवहन उपयोगिताओं पर भी लागू होता है। हम अपने ड्राइवरों को लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि वे गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।" कडुस्कर ने कहा, "जातार का कृत्य एक अक्षम्य कृत्य था जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तदनुसार, उन्हें जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है।" अपने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति जातार की उपेक्षा ने एक नियमित यात्रा को एक खतरनाक यात्रा में बदल दिया है,

जो विचलित ड्राइविंग के परिणामों और त्रासदी की संभावना को उजागर करती है जब सार्वजनिक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया लोग उनकी देखभाल में जीवन के साथ खेलना चुनते हैं।

एनएमएमटी सैटेलाइट शहर के निवासियों के लिए यात्रा को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। यह उपक्रम 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यात्रा मुफ्त करने वाला राज्य का पहला नागरिक परिवहन निकाय बन गया है। यह 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यात्रा मुफ्त करने के एमएसआरटीसी के फैसले की दिशा में एक कदम आगे ले जा रहा है। एनएमएमटी ने आयु सीमा कम कर दी है और 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए यात्रा मुफ्त कर दी है।

एनएमएमटी 74 मार्गों पर लगभग 567 बसें चलाता है, जिससे प्रतिदिन लगभग 1.80 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। एनएमएमटी क्षेत्राधिकार के भीतर संचालन के अलावा, एनएमएमटी आसपास के शहरों जैसे ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उरण, खोपोली आदि को भी सेवाएं प्रदान करता है।

'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट के साथ हुआ बलात्कार... दर्ज कराई एफआईआर

मुंबई: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हर सीजन हिट साबित हुआ है। इस शो में भाग लेकर कई लोगों ने लोकप्रियता हासिल की है। हाल ही में 'बिग बॉस 11' में नजर आई एक कंटेस्टेंट ने अपने दोस्त पर गंभीर आरोप लगाया है। इस कंटेस्टेंट ने दोस्त के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। कंटेस्टेंट ने आरोप लगाया कि उनके दोस्त ने उन्हें अपने प्लैट पर बुलाकर उनका बलात्कार किया है। पीड़िता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 'बिग बॉस 11' की यह कंटेस्टेंट ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। इससे पहले भी उनका विवादों से खूब नाता रहा। बिग बॉस के घर में वह होस्ट सलमान खान संग खूब मस्ती करती नजर आती थीं।

राहुल गांधी की कार पर नहीं हुआ हमला... कांग्रेस ने दिया स्पष्टीकरण

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' बुधवार को बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश हो चुकी है। इस दौरान खबर आई कि बंगाल-बिहार बॉर्डर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ है। काफिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। इसे लेकर अब कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस ने पहले इसे हमला बताया, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण देते हुए इसे एक हादसा बताया।



कांग्रेस ने स्पष्टीकरण में क्या कहा ?

कांग्रेस ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा, "पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया था। इस भीड़ में एक महिला राहुल जी से मिलने अचानक उनकी कार के आगे आ गई, इस वजह से

अचानक ब्रेक लगाई गई। तभी सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार का शीशा टूट गया। जननायक राहुल गांधी जी जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता उनके साथ है, जनता उनको सुरक्षित रखे है।" यह हदसा मालदा के

हरीशचंद्रपुर में हुआ। इस दौरान राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। इस हादसे में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया, लेकिन राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई। यह हादसा मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में तब हुआ, जब यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रही थी। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने व्हाट्सएप पर हमला कराने का आरोप लगाया था। वहीं, टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण धक्का-मुक्की के चलते यह घटना हुई है।

कल्याण में ACB की बड़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार



कल्याण : महाराष्ट्र के कल्याण से रिश्वतखोरी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सहायक उप-रजिस्ट्रार ने घर के पंजीकरण के लिए पैसे की मांग की। ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने असिस्टेंट सब-रजिस्ट्रार को तय रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस घूसखोर कर रहे अधिकारी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कल्याण पूर्व स्थित कार्यालय से अधिकारी का नाम राज कोली है। राज कोली ने शिकायतकर्ता से घर की रजिस्ट्री के लिए 24 हजार रुपये की मांग की क्योंकि संबंधित शिकायतकर्ता ने घर खरीदा था। लेकिन इतनी रकम देना संभव नहीं होने पर समझौता कर बारह हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने ठाणे एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी।

ठाणे में कंप्यूटर तकनीशियन के साथ 17 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक कंप्यूटर तकनीशियन के साथ 17 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई जिसमें जालसाजों ने उसे रेंटिंग करने और 'बिटकॉइन' में निवेश पर जल्दी लाभ होने का वादा किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डोंबिवली टाउनशिप के रहने वाले पीड़ित ने आठ दिसंबर, 2023 से नौ जनवरी के बीच धोखाधड़ी में 17.33 लाख रुपये गंवा दिए। अधिकारी ने कहा, पीड़ित से सोशल मीडिया मंच के माध्यम से, बड़ी रकम कमाने के प्रस्तावों के साथ संपर्क किया गया था। कुछ ऑनलाइन



कार्यों की रेंटिंग और बिटकॉइन में निवेश पर उसे भारी लाभ होने का वादा किया गया था। पीड़ित ने एक महीने में इसमें 17.33 लाख रुपये

का निवेश किया। उसे जमा राशि पर कोई लाभ नहीं मिला और उसका निवेश भी अवरुद्ध हो गया। "ऑनलाइन कार्य धोखाधड़ी में आम तौर पर पीड़ितों को वीडियो आदि की रेंटिंग जैसे कार्य करने के लिए कहा जाता है और उनका विश्वास जीतने के लिए शुरूआत

में छोटे भुगतान करते हुए फंसा लिया जाता है। इसके बाद पीड़ितों को बड़ा लाभ कमाने के लिए पैसा निवेश करने का लालच दिया जाता है। अधिकारी ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर 8 , मदीना मेशन, ८9 ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सएप नं 7977408589: Email-editor@rookthoklekhaninews.com